न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 16/2025

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट
मीठालाल, तत्कालीन कार्यवाहक तहसीलदार गडरा रोड, हाल– नायब तहसीलदार, गडरारोड जिला बाडमेर।		जिला कलेक्टर, बाड़मेर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 विरूद्व जिला कलक्टर, बाडमेर के आदेश क्रमांक प.1()(1) कार्मिक 2024/10652–57 दिनांक 06.11.2024 जिसके द्वारा नियम 17 के तहत् अपीलांट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितिः––

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़, उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 01 अक्टूबर,2025

1. यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958, के नियम 17 के तहत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत की गई है

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार श्री रामजी लाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के नायब तहसीलदार गडरारोड के पद पर रहने के दौरान कार्यवाहक तहसीलदार पदस्थापन के दौरान जिला कलक्टर बाडमेर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 5791 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया गयाः––

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आरोप संख्या 01 :–

यह है कि आप श्री मीठालाल मीणा, नायब तहसीलदार (कार्यवाहक तहसीलदार व पदेन उप पंजीयक) गडरा रोड के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन) मुद्रांक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.2(7)सत/बाडमेर/ 2022 /3956 दिनांक 18.7.2022 के अनुसार मौजा अगासडी पटवार हल्का गिराब तहसील गडरारोड के ख0सं 815 रकबा 151.00 बीघा भूमि श्री मुल्तानसिंह पुत्र पहाडसिंह द्वारा श्रीमती अणसी पत्नी रामकरण विश्नोई निवासी–बना की ढाणी, अमरपुरा, तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा भूमि व श्रीमती पालूदेवी पत्नी अशोक कुमार विश्नोई निवासी सांगडवा तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा भूमि बेचान किये जाने पर पंजीयन किया है जबकि उक्त खसरा भूमि उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत–जोधपुर के पत्रांक सतर्कता/पीए/2015–16/4558 दिनांक 11.06.2015 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई की सूची में दर्ज होने के कारण सम्बन्धित भूमि को सक्षम न्यायालय/सीबीआई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना आगे हस्तान्तरण/पंजीयन नहीं करने के निर्देश थे। इसके उपरान्त भी प्रतिबन्धित भूमि के बेचान दस्तावेजों का पंजीयन किया जाना एक गम्भीर अनियमितता एवं आपकी पर्यवेक्षीय लापरवाही की श्रेणी में आता है। आपका यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करने व अनुशासन –हीनता की श्रेणी में आता है।

4. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलांट के द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रतिउत्तर दिनांक 08.08.2024 को प्रस्तुत करते हुयें आरोपित आरोप को अस्वीकार करते हुयें जारी ज्ञापन को फाईल करने का निवेदन किया गया। आरोप के अनुसार ''श्री मुल्तानसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत निवासी– खेजड का पार द्वारा ग्रम चाहडयाली पटवार हल्का आसाडी तहसील गडरा रोड के ख0सं0 815 रकबा 151 बीघा का उपपंजीयक कार्यालय, गडरारोड में दिनांक 16.10.2006 को उपस्थित होकर पंजीयन दस्तावेज संख्या 1346/2006 के द्वारा बलवीरसिंह पुत्र विजय सिंह निवासी वसन प्रिन्ट वटाला रोड अमृतसर, पंजाब के पक्ष में बेचान किया गया था। दस्तावेज की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। तत्पश्चात केता बलवीरसिंह के पक्ष में नामा0 संख्या 78 दिनांक 20.7.2024 पारित भी हो गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

5. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि श्री मुल्तानसिंह के द्वारा एक राजस्व अपील संख्या 9/2014 अन्तर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, शिव के

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

समक्ष अपील पेश की गई जिसके सम्बन्ध में न्यायालय के द्वारा ग्राम चाहडियाली के नामा0 संख्या 78 दिनांक 20.7.14 को निरस्त करते प्रकरण रिमाण्ड करते हुए पूर्ण विधिविहित प्रकिया अपनाते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामा0 पारित करने के आदेश प्रदान किये थे जिसकी पालना में ग्राम पंचायत के द्वारा श्री मुल्तानसिंह पुत्र पहाडसिंह के नाम नामा0 संख्या 146 दिनांक 20.8.19 को दर्ज हुआ। उक्त अवधि में प्रशासन गांवों के संग शिविर 2021 के फॉलोअप कैम्प प्रगतिरत होने से अपीलान्ट शिविरों में अत्यधिक व्यस्त होने व उनके पास तहसीलदार व उपपंजीयक गडरारोड का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण मुल्तान सिंह के द्वारा दिनांक 8.6.2022 को उपपंजीयक गडरारोड कार्यालय में उपस्थित होकर 02 दस्तावेज पंजीयन करने हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अपीलान्ट के द्वारा केता–विकेता की पहचान करवाकर प्रस्तुत दस्तावेजात के मुख्य पृष्ठ भाग–अ पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि डीएनपी क्षेत्र से बाहर हो एवं बॉर्डर बेचान प्रकरणों में उक्त प्रकरण नहीं हो तो नियमानुसार पंजीयन करे, का संक्षिप्त नोट अंकित करते हुए दस्तावेज पंजीयन शाखा को प्रेषित किये गये। पंजीयन दस्तावेज के द्वारा श्रीमती अणसी पत्नी रामकरण विश्नोई निवासी बना की ढाणी, अमरपुरा, तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा तथा श्रीमती पालूदेवी पत्नी अशोक कुमार विश्नोई, निवासी– सांगडवा, तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा भूमि का बेचान किया गया है। केता अधिसूचित क्षेत्र से बाहर के निवासी होने के कारण प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश हेतु उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड से पत्र कमांक 1297 एवं 1298 दिनांक 8.6.2022 के द्वारा प्रवेश की अनुमति भी ली गई थी।

6. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि उक्त दस्तावेजों के द्वारा कय की गई भूमि केता श्रीमती अणसी पत्नी रामकरण विश्नोई निवासी बना की ढाणी अमरपुरा तहसील सांचोर व श्रीमती पालूदेवी पत्नी अशोक कुमार विश्नोई निवासी सांगडवा तहसील सांचोर के पक्ष में नामा0 संख्या 191 दिनांक 21.6.22 को प्रशासन गांवों के संग शिविर 2021 के फॉलोअप कैम्प हरसाणी में तहसीलदार, गडरारोड द्वारा पारित किया गया है। वर्तमान में जमाबन्दी में सीबीआई का नोट अंकन किया गया है। उपमहानिरीक्षक के पत्रांक 4558 दिनांक 11.06.2015 के द्वारा सीबीआई सूची में दर्ज प्रकरणों से सम्बन्धित उप पंजीयक कार्यालय को सूचना उपलब्ध करवाई जाना बताया है परन्तु उक्त सूची उप पंजीयक कार्यालय को प्रेषित नहीं करने के कारण व पक्षकार के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुती के समय संलग्न जमाबन्दी में किसी प्रकार का ऐसा नोट अंकित नहीं होने के कारण दस्तावेज पंजीयन कर दिये गये है।

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर, बाड़मेर को उपखण्ड अधिकारी गडरारोड के मार्फत अभिलेख दस्तावेजों का नियमानुसार निरीक्षण कराने व उद्दरण प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर उनके कार्यालय के द्वारा दिनांक 1.8.2024 को उक्त स्वीकृति प्रदान की गई। उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत–जोधपुर के पत्र क्रमांक 954 दिनांक 13.09.2022 बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 15.9.2017 को उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत– बाडमेर को पत्रावली भिजवाई जा चुकी है। दिनांक 15.9.2017 के पत्र की प्रति संलग्न कर उपरोक्त अभिलेख के सम्बन्ध में वृत बाडमेर से सम्पर्क स्थापित करें।

8. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि उक्त प्रकरण में श्री मुल्तानसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत निवासी– खेजड का पार हाल निवासी– गंगापुरा के द्वारा ग्रम चाहडयाली, पटवार हल्का आसाडी, तहसील गडरा रोड के ख0सं0 815 रकबा 24.44.30 हैक्टर भूमि का उप पंजीयक कार्यालय गडरारोड में पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्तुत दस्तावेज के साथ जमाबन्दी में मुल्तानसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत के नाम खातेदारी कृषि भूमि दर्ज होने व जमाबन्दी में सीबीआई के द्वारा जारी स्थगन का नोट अंकित नहीं होने के कारण नियमानुसार सद्भावना से अपीलान्ट (उप पंजीयक) द्वारा उक्त दस्तावेज पंजीयन किये गये है। पंजीयन करते वक्त अपीलान्ट के द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है।

9. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि वर्तमान में अपीलान्ट के द्वारा पूरी सजगता से राजकार्य निष्पादित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर, बाडमेर के पत्रांक 33–86 दिनांक 6.1.2023 की पालना में सीबीआई सूची में अंकित सभी निष्पादित दस्तावेजों पर सीबीआई का नोट तत्परता से अंकन किया जा चुका है। पंजीयन करते समय अपीलान्ट के प्रशासन गांवों के संग शिविर–2021 के फॉलोअप कैम्पों में व्यस्त रहने व उनके पास तहसीलदार व पदेन उपपंजीयक, गडरारोड का अतिरिक्त कार्यभार होने पर प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेज के साथ में पेश संलग्न जमाबन्दी में सीबीआई प्रकरण सम्बन्धी स्थगन का नोट लगा हुआ नहीं होने से अपीलान्ट के द्वारा केता–विकेता की पहचान करवाकर प्रस्तुत दस्तावेजात के मुख्य पृष्ठ भाग– अ पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि डीएनपी क्षेत्र से बाहर हो व बॉर्डर बेचान प्रकरणों में नहीं आता हो तो नियमानुसार पंजीयन करे, का संक्षिप्त नोट अंकित करते हुए दस्तावेजात पंजीयन शाखा को प्रेषित किये गये थे। इस प्रकार दस्तावेज पंजीयन करते समय अपीलान्ट के

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

स्तर पर किसी तरह की पर्यवेक्षण में शिथिलता/लापरवाही नहीं बरती गई है तथा सीबीआई सूची में अंकित सभी दस्तावेजों पर सीबीआई का नोट तत्परता से अंकन किया जा चुका है।

10. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि जिला कलक्टर महोदय के द्वारा अपीलांट के उक्त प्रत्युत्तर को स्वीकार न कर उसे प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2024 के द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड दण्डित कर दिया गया है जबकि अपीलान्ट के द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई थी। अपीलांट ने ज्ञापन प्राप्त होते ही समय पर लिखित में प्रत्युतर पेश कर दिया था जिसमें उपपंजीयक कार्यालय गडरारोड में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उपमहानिरीक्षक के पत्रांक 4558 दिनांक 11.06.15 के संलग्न दर्शाई गई सीबीआई सूची तत्समय में उपलब्ध ही नहीं थी और न ही उपपंजीयक कार्यालय गडरारोड को ऐसी सूची प्रेषित की गई थी जिससे अपीलान्ट अथवा उनके कार्यालय को यह ज्ञात हो जाता कि वादग्रस्त भूमि सीबीआई सूची में प्रतिबन्धित अंकित है और उक्त खसरों के दस्तावेजों का पंजीयन किया जाना प्रतिबन्धित हो रखा है।

11. जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में केवल उपमहानिरीक्षक महोदय के पत्र क्रमांक 4558 दिनांक 11.06.15 को आरोपित आरोप का मुख्य आधार बनाकर अपीलान्ट को उक्त कार्य हेतु जिम्मेदार मानते हुए दण्डित किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त दस्तावेज पेश होने पर उक्त प्रकार का संक्षिप्त नोट अंकित कर दस्तावेजात पंजीयन शाखा को प्रेषित कर दिये गये थे, ऐसे में पंजीयन शाखा के कार्मिक का यह दायित्व था कि वे कार्यालय में तत्समय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त खसरे के बेचान होने या न होने या प्रतिबन्धित होने की वस्तुस्थिति ज्ञात कर अपनी चैकलिस्ट में ऐसा नोट अंकित करते। अपीलान्ट के द्वारा पंजीयन लिपिक की रिपोर्ट के आधार पर ही दस्तावेजों को पंजीयन स्वीकृती देते हुए पंजीयक के रूप में हस्ताक्षर करते है। इसके अतिरिक्त विक्रेता/क्रेता का भी दायित्व बनता था कि वे प्रतिबन्धित भूमि सम्बन्धी बेचान दस्तावेज पेश नहीं करते और न ही उक्त भूमि का बेचान करवाते। अपीलान्ट को इस प्रकार की जानकारी होने के तुरन्त बाद ही प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों का पूर्ण निरीक्षण करने, जमबान्दी व अन्य दस्तावेज, कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की जानकारी लेने के उपरान्त ही बेचान दस्तावेज पंजीयन किये गये है।

11. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट के जवाब को कन्सीडर ही नहीं किया गया, न ही प्रकरण में न्याय किये जाने की मंशा रखी गई, मात्र अपीलान्ट को दण्डित किये जाने की दृष्टि से अपीलाधीन आदेश जारी किया गया

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यो के आधार पर अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा जिला कलक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2024 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को दोषमुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

12. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री रामजी लाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी, गडरा रोड ने जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपील पर प्रेषित कार्यालय टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। विभागीय पैरोकार द्वारा अवगत कराया गया कि जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रेषित टिप्पणी में यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया गया था कि अपीलान्ट के द्वारा अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन) मुद्रांक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ. 2(7)सत/बाडमेर/ 2022 /3956 दिनांक 18.7.2022 के अनुसार मौजा अगासडी पटवार हल्का गिराब तहसील गडरारोड के ख0सं 815 रकबा 151.00 बीघा भूमि श्री मुल्तानसिंह पुत्र पहाडसिंह द्वारा श्रीमती अणसी पत्नी रामकरण विश्नोई निवासी–बना की ढाणी, अमरपुरा, तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा भूमि व श्रीमती पालूदेवी पत्नी अशोक कुमार विश्नोई निवासी सांगडवा तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा भूमि बेचान किये जाने पर पंजीयन किया है जबकि उक्त खसरा भूमि उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत–जोधपुर के पत्रांक सतर्कता/पीए /2015–16/ 4558 दिनांक 11.06.2015 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई की सूची में दर्ज होने के कारण सम्बन्धित भूमि को सक्षम न्यायालय/सीबीआई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना आगे हस्तान्तरण/पंजीयन नहीं करने के निर्देश थे। इसके उपरान्त भी प्रतिबन्धित भूमि के बेचान दस्तावेजों का पंजीयन किया गया।

13. अपीलान्ट का उक्त कृत्य अपचार की श्रेणी में आने के कारण उन्हें कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 3.8.2022 को जारी करते हुए उनसे जवाब प्राप्त किया गया। अपीलान्ट के द्वारा केवल पंजीबद्ध दस्तावेजात के आधार पर टिप्पणी कर देने मात्र से दायित्वों को निर्वहन करना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार प्रतिबन्धित खसरे की भूमि बिना परीक्षण किये पंजीयन किया जाना लापरवाही एवं गम्भीर अनियमतता बरती जाने के आधार पर आरोप साबित होने से अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डित किया गया है जो उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

14. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी क्रमांक 6416 दिनांक 26.03.2025 का भी अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया गया था कि उनके नायब तहसीलदार, गडरा रोड के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन) मुद्रांक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के पत्र क्रमांक 3956 दिनांक 18.7.2022 के अनुसार मौजा अगासडी पटवार हल्का गिराब तहसील गडरारोड के ख0सं 815 रकबा 151.00 बीघा भूमि श्री मुल्तानसिंह पुत्र पहाडसिंह द्वारा श्रीमती अणसी पत्नी रामकरण विश्नोई निवासी–बना की ढाणी, अमरपुरा, तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा भूमि व श्रीमती पालूदेवी पत्नी अशोक कुमार विश्नोई निवासी सांगडवा तहसील सांचोर के पक्ष में 75.10 बीघा भूमि बेचान किये जाने पर पंजीयन किया है। उक्त भूमि उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वृत–जोधपुर के पत्रांक सतर्कता/पीए/ 2015–16/ 4558 दिनांक 11.06.2015 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई की सूची में दर्ज होने के कारण सम्बन्धित भूमि को सक्षम न्यायालय/सीबीआई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना आगे हस्तान्तरण/पंजीयन नहीं करने के निर्देश थे। इसके उपरान्त भी प्रतिबन्धित भूमि के बेचान दस्तावेजों का पंजीयन किया जाना एक गंभीर अनियमितता एवं आपकी पर्यवेक्षणीय लापरवाही की श्रेणी में आता है।''

15. अपीलान्ट के द्वारा उक्त आरोप के प्रत्युतर में यह अंकित कियागया है कि आरोप पत्र में वर्णित प्रश्नगत भूमि के बेचान दस्तावेजात का पंजीयन करते समय अपीलान्ट, जो कि नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत रहे है, के प्रशासन गांवों के संग शिविर–2021 के फॉलोअप कैम्पों में व्यस्त रहने व उनके पास तहसीलदार व पदेन उपपंजीयक, गडरारोड का अतिरिक्त कार्यभार होने पर प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेज के साथ में पेश संलग्न जमाबन्दी में सीबीआई प्रकरण सम्बन्धी स्थगन का नोट लगा हुआ नहीं होने, उप पंजीयक के द्वारा केता–विकेता की पहचान करवाकर प्रस्तुत दस्तावेजात के मुख्य पृष्ठ भाग–अ पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि डीएनपी क्षेत्र से बाहर हो व बॉर्डर बेचान प्रकरणों में नहीं आता हो तो नियमानुसार पंजीयन करे, का संक्षिप्त नोट अंकित करते हुए दस्तावेजात पंजीयन शाखा को प्रेषित किये गये थे तथा सद्भावना से दस्तावेजात पंजीयन किये गये।

16. अपीलान्ट जो कि नायब तहसीलदार, गडरा रोड के पद के साथ–साथ उप पंजीयक, गडरा रोड़ के पद के कार्यो का भी निष्पादन कर रहे थे तो उनका यह दायित्व बनता था कि उल्लेखित बेचान दस्तावेज में वर्णित भूमि बॉर्डर बेचान प्रकरणो की नहीं होने/डीएनपी क्षेत्र में

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

स्थित नहीं होने सम्बन्धी तथ्यों की तहसील कार्यालय के रिकार्ड तथा जिला कलेक्टर कार्यालय, बाडमेर में संस्थित राजस्व रेकर्ड को मंगवाया जाकर/तलब करते हुए वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करते। उप पंजीयक होने के नाते दस्तावेजात के मुख्य पृष्ठ पर भूमि डीएनपी क्षेत्र से बाहर हो एवं बॉर्डर बेचान प्रकरणों में नहीं हो, का संक्षिप्त नोट अंकित कर दिये जाने तथा पंजीयन शाखा द्वारा पंजीयन दस्तावेजात के भाग ''ब'' में कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर सद्भावना से दस्तावेजात पंजीयन कर दिये जाने, के कथनों से वे अपने कर्तव्य/ दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते है। प्रतिबंधित खसरा नम्बरों की भूमि के बेचान का पंजीयन किये जाने से पूर्व संदिग्ध/सशंय वाले प्रकरणों में मौका देखा जाना चाहिये था तथा राजस्व रेकर्ड का भली–भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिये था, भले ही विक्रेता के द्वारा अपने दस्तावेजों में इसका उल्लेख न किया गया हो।

17. अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में न तो जिला कलेक्टर, बाड़मेर के समक्ष और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे आरोपित आरोप को प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हो। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा यह कहा जाना कि उप पंजीयक कार्यालय के पंजीयन लिपिक के द्वारा दस्तावेज पर की गई कार्यालय टिप्पणी के आधार पर दस्तावेज को पंजीकृत किये जाने सम्बन्धी हस्ताक्षर किये गये है तो अपीलान्ट के उप पंजीयक होने के नाते यह भी दायित्व था कि वे अपने पदीय कर्तव्य की पालना पूर्ण करते तथा स्वयं के स्तर पर इस प्रकार की जानकारी रेकर्ड पर लेने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही निष्पादित करते, जो कि नहीं की गई है।

18. जिला कलेक्टर, बाडमेर की पत्रावली के संलग्न उप महानिरीक्षक, पंजीयन, वृत–बाड़मेर के पत्र कमांक 2498–2499 दिनांक 17.07.2022 के अनुसार प्रश्नगत भूमि के बेचान दस्तावेजों का पंजीयन किये जाने में अपीलान्ट के द्वारा अनियमितता बरती जाना बताया है, जिसके आधार पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त आरोप से आरोपित किया गया है। जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा आरोपित आरोप के सम्बन्ध में अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुने जाने तथा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने के उपरान्त आरोपित आरोप प्रमाणित होने के आधार पर अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आधारहीन, सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

19. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2024 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर